

समाहरणालय, मधेपुरा।

(सामान्य शाखा)

पत्रांक- /

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

निदेशक
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

मधेपुरा, दिनांक- अप्रैल, 2017

विषय- समाचार पत्रों में निविदा सूचना का प्रकाशन कराये जाने के सम्बंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में कहना है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत जिला समाहरणालय में पुस्तकालय के सुदृढीकरण करने के निमित्त विभागीय पुस्तकों के क्रय के लिये सर्वसाधारण की जानकारी हेतु सूचना सामग्री सी0डी0 सहित भेजी जा रही है, जिसे दो प्रमुख हिन्दी समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक- चथोक्त।

विश्वासभाजन

50/-
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक- 489 /सा0, मधेपुरा दिनांक- 12 अप्रैल, 2017

प्रतिलिपि- जिला शिक्षा पदाधिकारी -सह- अध्यक्ष, जिला स्तरीय पुस्तकालय संचालन समिति को सूचनार्थ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित। आपको निदेश दिया जाता है कि आपूर्तिकर्ता से पुस्तकों की आपूर्ति किए जाने के पश्चात् जिला केन्द्रीय पुस्तकालय, मधेपुरा -सह- समाहरणालय पुस्तकालय, मधेपुरा में पंजीबद्ध कर अलग रखेंगे।

प्रतिलिपि- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को अपर मिशन निदेशक के पत्रांक- 22 दिनांक- 03/01/2012 से प्राप्त पुस्तकों की सूची जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित साथ ही सम्बंधितों को ईमेल करने हेतु भी प्रेषित।

प्रतिलिपि- आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा एवं अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी
मधेपुरा।


समाहरणालय, मधेपुरा।

(सामान्य शाखा)

निविदा सूचना

अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 218 दिनांक- 19/04/2011 के आलोक में जिला समाहरणालयों में पुस्तकालयों के सुदृढीकरण हेतु मधेपुरा जिला के लिये पुस्तकों की खरीद की जानी है। इसके लिए निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों से पुस्तक क्रय हेतु मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दाखिल की अंतिम तिथि- 10/05/2017 2:00 बजे अपराह्न तक प्राप्त किया जायेगा तथा उसी दिन जिला क्रय समिति के समक्ष निविदा अधोहस्ताक्षरी के अध्यक्षता में 3:00 बजे अप० में खोजी जायेगी, जिसमें निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं।

1	पुस्तक का क्रय प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों से क्रय किया जायेगा।
2	निविदादाता को विक्री कर/बैट, निबंधन प्रमाण पत्र एवं अद्यतन सफाई प्रमाण पत्र सलंगन करना होगा।
3	आयकर पैन् तथा अद्यतन कर अदायगी प्रमाण पत्र सलंगन करना होगा।
4	दूकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत जारी अनुज्ञापति की छायाप्रति सलंगन करना होगा।
5	तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग- अलग दाखिल करना होगा।
6	निविदादाता को जिलाधिकारी, मधेपुरा के नाम से 10,000/- (दस हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट अग्रघन के रूप में सलंगन करना अनिवार्य होगा।
7	किसी भी निविदा को स्वीकार / अस्वीकार करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास पूर्णतः सुरक्षित रहेगा।
8	सामग्री की आपूर्ति निर्धारित मापदंड/गुणवत्त, मात्रा एवं दर के अनुरूप करनी होगी अन्यथा समानुपातिक रूप से विपत्र से कटौती करते हुए भुगतान की जायेगी।
9	अनुमोदित आपूर्तिकर्ता को मांग आदेश प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अंदर गुणवत्ता युक्त एवं मात्रानुसार सामग्री कार्यालय में पहुँचाकर आपूर्ति करना होगा जिसके लिये अलग से कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगी।
10	निविदत्त पुस्तकों की सूची वेबसाइट http://madhepura.bih.nic.in पर देखा जा सकता है अथवा कार्यालय अवधि में जिला सामान्य शाखा, मधेपुरा से प्राप्त किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट www.probihar.gov.in पर देखा जा सकता है।


जिलाधिकारी
मधेपुरा। 14/17